

न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण

(जिला-पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर विश्णोई, आर0ए0एस0  
 राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 212/2018  
 GCMS NO. : 2018/00189

-:: प्रार्थीगण :-

बनाम

-:: अप्रार्थीगण :-

1. पांचुराम पुत्र मांगीलाल
  2. कालूराम पुत्र मांगीलाल
  3. प्रकाशचन्द पुत्र बोदुराम
  4. ओमप्रकाश पुत्र बोदूराम
  5. भैरूलाल पुत्र भंवरलाल
  6. जयराम पुत्र भंवरलाल
  7. नाथूलाल पुत्र भंवरलाल
- जातियान- माली निवासीगण-  
 रास(चौहानों की ढाणी) तहसील-  
 जैतारण, जिला- पाली, राज0।

1. दामोदरदास पुत्र सुगनदास जाति-  
 साद, निवासी- रास,
2. प्रकाशचन्द पुत्र पुखराज जाति- माली,  
 निवासी- निम्बावतों की ढाणी रास,
3. राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार  
 एवं उपपंजीयन अधिकारी महोदय,  
 जैतारण, जिला पाली, राजस्थान।
4. पटवारी पटवार हल्का रास तहसील  
 जैतारण जिला पाली राज0।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी  
अधिनियम, 1955 तारीख रजु: 29/05/2018

उपस्थितः. 1. श्री रुस्तम खान भाटी, अधिवक्ता, प्रार्थी।

-:: निर्णय :-

दिनांक: 30/03/2021

वकील मय प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा रास प्रथम पटवार हल्का रास प्रथम तहसील जैतारण जिला पाली मे सायलान् की कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 95 रकबा 07 बिस्वा किस्म गै0मु0 बेरा, ख0नं0 96 रकबा 08 बिस्वा किस्म गै0मु0, ख0नं0 97 रकबा 35-01 बीघा किस्म चाही प्रथम, ख0नं0 314 रकबा 4 बिस्वा किस्म गै0मु0, ख0नं0 315 रकबा 28-02 बीघा किस्म चाही प्रथम ख0नं0 315/1 रकबा 01 बिस्वा किस्म गै0मु0 बेरा, कुल खसरा 6 कुल रकबा 64-03 बीघा की कृषि भूमि मौजा रास मे सेवरिया से ब्यावर जाने वाली रोड झुंझारजी के मंदिर के पास आई हुई है जिस पर एक मात्र कब्जा काश्त सायलान् का है। खसरा संख्या 315 कुल रकबा 53-03 बीघा जिसमे से गैरसायलान् संख्या एक का खसरा संख्या 314/09 रकबा 06 बीघा का हिस्सा आता है। उपरोक्त खसरा नम्बर की जमाबन्दी की नकल प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत की गई है। गैरसायल संख्या 01 ने खसरा संख्या 315/09 रकबा 06 बीघा मे मौजा रास मे आवासीय कॉलोनी शिव नगर के नाम से उपरोक्त जमीन पर प्लॉट काटे है। गैरसायल संख्या 01 ने उपरोक्त जमीन पर बिना कोई कानूनी बंटवाडा करवाये तथा नक्शा ट्रेस मे तरमीम व अमल दरामद कराये बगैर ही कृषि भूमि मे आवासीय कॉलोनी काटी है, जिसमे गैरसायल संख्या एक ने कानूनी रूप से

सहायक कलक्टर पदेन  
 उपखण्ड अधिकारी  
 जैतारण (पाली)

रूपान्तरण भी नहीं करवाया जा ही भूमि की किस्म बदलवाई है। गैरसायल संख्या 01 ने आवासीय कॉलोनी के नियम व शर्तों की पालना भी नहीं की है तथा उपरोक्त भूमि 06 बीघा को आवासीय कॉलोनी में परिवर्तित कराये बगैर ही शिवनगर रास की आवासीय कॉलोनी काटी है तथा खसरा संख्या 315 रकबा 28-02 बीघा जो कि सायलान् की खातेदारी व कब्जा काशत है जिस पर नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आशय से जो शिवनगर रास के नाम से गैरसायल संख्या एक ने काटी है। गैरसायल संख्या 01 ने शिवनगर रास के नाम से स्थित कॉलोनी में कुल 67 प्लॉट काटे हैं। जिनका क्षेत्रफल 57296 तथा इस कॉलोनी में प्लॉट के सामने आवागमन हेतु रास्ते छोड़े गये हैं। जिनका क्षेत्रफल 14396 है इस प्रकार गैरसायल संख्या 01 ने कुल 71654 वर्गफिट जमीन पर कॉलोनी काटी है जबकि गैरसायल संख्या एक की हक हिस्से की जमीन 61591 वर्ग फिट ही है। इस प्रकार गैरसायल संख्या एक ने सायलान् के हक हिस्से की जमीन पर नाजायज रूप से कब्जा करन आशयस कॉलोनी का निर्माण किया है तथा सायलान् के हिस्से की जमीन पर 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25 प्लॉट नक्शे में दर्शाकर गैरसायल संख्या 2 के ह कमे दिनांक 18/05/2018 को बेचान दस्तावेज गैरसायल संख्या 03 के कार्यालय में पंजीबद्ध करवाया है जो सायलान् के हक व अधिकारो के विपरीत है गैरसायल संख्या एक द्वारा किये गये बेचान दस्तावेज की नकल प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न है। सायलान् के कब्जे काशत की जमीन खसरा संख्या 315 रकबा 28-02 बीघा की जमीन पर गैरसायल संख्या एक ने अवैध कब्जा लिए करने के लिये बिना किसी हक व अधिकार के कॉलोनी का निर्माण किया है। सायलान् द्वारा खसरा संख्या 315 रकबा 28-02 बीघा की पटवारी हल्का रास व भू अभिलेख निरीक्षक महोदय रास द्वारा दिनांक 24/09/2017 को सीमाज्ञान कराने पर खसरा नम्बर 315 की कृषि भूमि रकबा 28-02 बीघा के स्थान पर 24 बीघा ही नापचौप में आई है। शेष जमीन पर गैरसायल संख्या एक ने नाजायज तरीके से कॉलोनी का निर्माण कर प्लोटो का बेचान किया है सायलान् के कब्जा काशत की जमीन पर प्लोट 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25 काटकर कॉलोनी के नक्शे में सायलान् की कब्जा काशत की कृषि भूमि को कब्जे में दर्शाया गया है उपरोक्त प्लॉटो को सायलान् द्वारा बेचान हस्तान्तरण करने से दिनांक 16.05.2018 को मना करने पर गैरसायल संख्या एक ने स्पष्ट शब्दो में कहा कि उपरोक्त कृषि भूमि ख0नं0 315 तरमीम नहीं हो रखी है। इसलिए मेरे हिस्से में दर्ज 06 बीघा जमीन के आधार पर अवैध तरीके से तुम्हारे हक व अधिकार की जमीन का बेचान व हस्तान्तरण करूंगा। सायलान् द्वारा उनके कब्जे काशत की जमीन में प्लॉट के बेचान हस्तान्तरण की धमकी देने के बाद तहसील कार्यालय से दिनांक 23.05.2018 को बेचान दस्तावेज की नकल लेने पर ज्ञात हुआ कि गैरसायल संख्या 01 ने गैरसायल संख्या 02 को सायलान के हक हिस्से की कृषि भूमि 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25 को दर्शाकर बेचान किया है जो अवैध व आधारहीन है। उपरोक्त बेचान दस्तावेज के आधार पर गैरसायल संख्या 02, 03 और 04 के कार्यालय से अपना नाम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज कराने के लिए म्युटेशन भराने को आमामा है। गैरसायल संख्या 02 को सायलान की कब्जा काशत की कृषि भूमि में अपना जाग म्युटेशन करवाने का अधिकारी नहीं है गैरसायल

सहायक कलेक्टर पदेन  
उपखण्ड अधिकारी  
जैतारण (पाली)

संख्या 03 व 04 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के म्युटेशन करने से रोका जाना व अनूना आवश्यक है। गैरसायल संख्या 02 दिनांक 01/05/2018 के बेचान दस्तावेज के आधार पर उपरोक्त जमीन को आगे बेचान हस्तान्तरण वरीयत आदि किसी अन्य व्यक्ति के नाम करने को आमादा है। जिसे जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के गैरसायल संख्या 02 को बेचान हस्तान्तरण व गैरसायल संख्या 03 को बेचान दस्तावेज को निष्यादित करने पर गैरसायल संख्या 04 को म्युटेशन करने से जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के कानूनन रोका आना आवश्यक है। गैरसायल संख्या 02 द्वारा अपने पक्ष में अवैध दस्तावेज के आधार पर किसी अन्य व्यक्ति को उपरोक्त जमीन का बेचान कर दिया जाता है तथा उपरोक्त जमीन का म्युटेशन गैरसायल संख्या 03 व 04 के द्वारा गैरसायल संख्या 02 के हक में कर दिया जाता है तो सायलान् अपने हक व अधिकारों से वंचित हो जायेगे जिससे सायलान् व गैरसायलान् के बीच मुकदमेबाजी होगी जिससे सायलान् को आर्थिक नुकसान होगा तथा सायलान् अपने हक व अधिकारों से वंचित हो जायेगे। सायलान् को अपने हक व अधिकारों की रक्षा के लिए उपरोक्त प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत करने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं होने पर यह प्रार्थनापत्र श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथपत्र व दस्तावेजात प्रस्तुत कर निवेदन है कि खसरा संख्या 315 रकबा 28 बीघा 02 बिस्वा की कृषि भूमि का गैरसायल संख्या 01 व 02 को बेचान हस्तान्तरण करने व प्रतिवादी संख्या 03 व 04 को बेचान दस्तावेज पंजीयन करने व म्युटेशन करने से जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से रोके जाने का आदेश फरमावे व गैरसायल संख्या 01 व 02 को खसरा नम्बर 315 रकबा 28-02 बीघा में वादीगण के हिस्से की जमीन पर काटे गये प्लॉट 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25 पर कब्जा करने, निर्माण करने से जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रतिवादीगण व उनके नौकर चाकर हाली एजेन्ट आदि को रोके जाने का आदेश फरमावे व अन्य कोई सहायता हो तो दिलायी जावे।

इस पर प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान् को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायलान् संख्या 01 व 02 को बार बार आवाजें दिलाई गईं, बावजूद नोटिसेज सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। बहस वकील वादी की सुनी गई।

बहस वकूलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात, गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन व विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिंदूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार है:-

**(01) प्रथम दृष्ट्या मामला :-** पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी अविभाजित सहखातेदारी भूमि है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत बैचाननामा दिनांक 18.05.2018 एवं आवासीय कॉलोनी ले-आउट प्लान तथा पटवारी एवं भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण द्वारा उपर्युक्त आराजी का मौके पर अकृषि प्रयोजनार्थ काम लिया जा रहा है। जिसके विरुद्ध

सहायक क्लर्क पदेन  
उपखण्ड अधिकारी  
जैतारण (पाली)

प्रार्थीगण स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के प्राथमिक तौर पर अधिकारी है। अतः बिन्दु प्रार्थीगण/प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

**(02) सुविधा का संतुलन :-** प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित हो चुका है तथा वादग्रस्त आराजी अविभाजित सहखातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादीगण के हक हिस्से तक सुविधा का संतुलन उनके पक्ष में निहित होता है। अतः यह बिंदू भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

**(03) अपूर्णनीय क्षति :-** प्रथम दृष्ट्या मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में साबित हुए हैं, साथ ही वादग्रस्त आराजी अविभाजित सहखातेदारी कृषि भूमि है जिस पर किसी सहखातेदार या अन्य व्यक्ति को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये अकृषि कार्य करने तथा कृषि भूमि को क्षति पहुंचाने को अधिकार नहीं होता है तथा ऐसी दशा में अप्रार्थीगण को नहीं रोका गया तो इस से अपूरणीय क्षति वादीगण/प्रार्थीगण को ही होगी। अतः यह बिंदू भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि चूंकि वादग्रस्त आराजी अविभाजित सहखातेदारी भूमि है, अतः वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद बैचान एवं हस्तान्तरण न करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से निरुद्ध किया जाना विधि संगत एवं आवश्यक है।

**-: आदेश :-**

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थीया अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वह ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा रास प्रथम पटवार हल्का रास प्रथम तहसील जैतारण जिला पाली के खसरा नम्बर 95 रकबा 07 बिस्वा किस्म गै0मु0 बेरा, ख0नं0 96 रकबा 00-08 बीघा किस्म गै0मु0, ख0नं0 97 रकबा 35-01 बीघा किस्म चाही प्रथम, ख0नं0 314 रकबा 00-04 बिस्वा किस्म गै0मु0, ख0नं0 315 रकबा 28-02 बीघा किस्म चाही प्रथम ख0नं0 315/1 रकबा 00-01 बीघा किस्म गै0मु0 बेरा, कुल खसरा 6 कुल रकबा 64-03 बीघा का बैचान व हस्तान्तरण नहीं करें तथा वर्तमान भू-अभिलेख में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी जैतारण  
(जिला-पाली)

निर्णय आज दिनांक 30/03/2021 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी जैतारण  
(जिला-पाली)

